नीलामी प्रपत्र

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2008 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पुराना बस अड्डा गाजियाबाद के सम्मुख स्थित कैलिनवर्थ फ्लाईओवर के वायाडक्ट भाग में जन समुदाय की सुविधा हेतु पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु ऑटो स्टैण्ड हेतु निर्धारित नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नाम –

आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

पत्र व्यवहार का पता –

आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड नं0 –

मोबाईल/दूरभाष नं0 –

धरोहर राशि सम्बन्धी विवरण –

मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है एवं नीलामी सम्बन्धी समस्त शर्तों को पढ़कर भली–भांति समझ लिया गया है। मैं इन शर्तों के अनुपालन हेतु सहमत हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2008 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पुराना बस अड्डा गाजियाबाद के सम्मुख स्थित कैलिनवर्थ फ्लाईओवर के वायाडक्ट भाग में जन समुदाय की सुविधा हेतु पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु ऑटो स्टैण्ड हेतु निर्धारित नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नाम –

आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

पत्र व्यवहार का पता –

आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड नं0 –

मोबाईल/दूरमाष नं0 –

धरोहर राशि सम्बन्धी विवरण –

मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है एवं नीलामी सम्बन्धी समस्त शर्तों को पढ़कर भली–भांति समझ लिया गया है। मैं इन शर्तों के अनुपालन हेतु सहमत हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

कार्य का नाम	–	पुराना बस अड्डा गाजियाबाद के सम्मुख स्थित कैलिनवर्थ फ्लाईओवर के वायाडक्ट भाग में जन समुदाय की सुविधा हेतु पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु ऑटो स्टैण्ड हेतु निर्धारित नीलामी का कार्य।
आरक्षित मूल्य	–	रू0 7,50,000/– मात्र
नीलामी प्रपत्र मूल्य	–	रू0 500/– मात्र
लाईसेंस अवधि	–	1 वर्ष
धरोहर राशि	–	1,50,000/–
नीलामी तिथि	–	
नीलामी का समय	–	

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

नीलामी हेतु सम्बन्धी शर्तें निम्नानुसार हैः—

1. वायाडक्ट भाग की उक्त सामान्य सुविधाओं का अनुरक्षण एक वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति पर दिया जाना प्रस्तावित है ।
2. सामान्य सुविधाओं के अनुरक्षण में पार्कों का रख—रखाव व उक्त भाग में आने वाले वाहनों प्रमुखतः ऑटो रिक्शा को एक सुनियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत पार्क कराना ताकि आवागमन में कोई असुविधा न हो और ट्रैफिक जाम न हो, सम्मिलित है।
3. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यस्क व्यक्ति/संस्था को पत्राचार हेतु अपने नाम व पता के प्रमाणन हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित अभिलेख/राशन कार्ड/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र/वाहन चालक अनुज्ञा/आयकर खाता संख्या प्रमाण पत्र /व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण पत्र/नगर निगम कर निर्धारण प्रमाण पत्र/ भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा निर्गत टेलीफोन विल की प्रमाणित छायाप्रति को प्रस्तुत करना होगा।
4. उक्त सामान्य सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु आरक्षित मूल्य रू0 7,50,000/— है।
5. उक्त सामान्य सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु आरक्षित मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे—आर्डर धरोहर राशि के रूप में जो कि उपाध्यक्ष, गाजियावाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं गाजियावाद में भुगतान योग्य हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्राधिकरण सभागार में जमा कराना होगा।
6. किसी भी वोलीदाता को अपनी वोली वापिस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।
7. उपाध्यक्ष, जनहित/प्राधिकरण हित में किसी भी/सभी सामान्य सुविधाओं के मेन्टीनेन्स व अनुरक्षण के ठेके की नीलामी किसी भी समय स्थगित कर सकते हैं।
8. उपाध्यक्ष को उच्चतम वोलीदाता सहित किसी भी वोलीदाता की वोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।
9. उच्चतम वोलीदाता को कुल विड मूल्य की 30 प्रतिशत धनराशि नीलामी की तिथि से 07 दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। उक्त धनराशि जमा न कराये जाने की दशा में नीलामी के समय जमा की गयी धरोहर राशि की 50 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि विना व्याज के वापिस कर दी जायेगी।
10. नीलामी स्वीकृति की दशा में उच्चतम वोलीदाता को नीलामी स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप पर अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित कराना होगा।
11. नीलामी स्वीकृति उपरान्त वोलीदाता द्वारा ऑटो पार्किंग हेतु रू0 10 प्रति एन्ट्री + सभी कर अतिरिक्त की दर से पार्किंग शुल्क वोर्ड पर दर्शाना होगा।
12. पार्किंग क्षेत्र में आने वाले आटो रिक्शा को पार्क कराने हेतु रू0 10/—प्रति एन्ट्री + सभी कर अतिरिक्त दर से पार्किंग हेतु धनराशि वसूलने का हक अनुज्ञप्तिग्रहिता को होगा ।

13. कार्यस्थल का कब्जा नियमानुसार अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादन के पश्चात अनुज्ञप्तिग्रहिता को दिया जायेगा ।
14. सामान्य सेवाओं का मेन्टीनेन्स व अनुरक्षण का आवंटन पूर्णतः अस्थायी है तथा मात्र एक वर्ष की अवधि के लिए है। उक्त एक वर्ष की अवधि अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित होकर कब्जा दिये जाने की तिथि से आरम्भ होगी। अनुज्ञप्ति ग्रहिता को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि को ही स्थल को खाली कर प्राधिकरण को उक्त स्थल का कब्जा सौंपना होगा। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर स्थल का कब्जा स्वयं प्राप्त कर लेगा तथा उक्त अवधि की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति अनुज्ञप्तिग्रहिता से वसूल किया जायेगा एवं उसे भविष्य में प्राधिकरण में होने वाली नीलामी हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
15. अनुज्ञप्तिग्रहिता पार्किंग स्थल का उपयोग केवल ऑटो रिक्शा की पार्किंग हेतु ही करेगा। प्राधिकरण द्वारा ऑटो पार्किंग हेतु रू0 10/- प्रति की एन्ट्री + सभी कर अतिरिक्त दर निर्धारित की गयी है। उक्त दरों के अनुसार ही अनुज्ञप्ति ग्रहिता पार्किंग शुल्क को प्राप्त कर सकता है। अधिक पार्किंग शुल्क प्राप्त करने अथवा पार्किंग स्टैण्ड का अन्य कोई उपयोग करने की दशा में पार्किंग स्टैण्ड का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा अनुज्ञप्तिग्रहिता की जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
16. पार्किंग स्टैण्ड एवं पार्कों का समस्त अनुरक्षण अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा स्वयं किया जायेगा।
17. अनुज्ञप्तिकर्ता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी भी नियम एवं शर्त को संशोधित कर सकता है। इसके लिए कोई पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।
18. अनुज्ञप्तिग्रहिता को शुल्क का भुगतान देय तिथि तक करना होगा अन्यथा नियमानुसार 21 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
19. अनुज्ञप्ति विलेख पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा किया जायेगा।
20. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर अनुज्ञप्तिग्रहिता की मांग पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अनुज्ञप्ति अवधि बढ़ाये जाने अथवा उसे पुनः विज्ञापित किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. उक्त सामान्य सुविधाओं का मेन्टीनेन्स व अनुरक्षण से सम्बन्धित किसी भी वाद/विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
22. किसी भी विवाद के निस्तारण का न्याय क्षेत्र गाजियाबाद स्थित न्यायालय होगा।